न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारी :—सुभाष चन्द्र
आर.ए.एस.

217 / 25
आरसीएमएस : 2025 / 715

1. बहादुर राम पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी भादवांवाला, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)। —:प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —:अप्रार्थी

तारीख रजू:—19.11.2025

स्थित अधिवक्तागणः—
श्री राजाराम धारणियां अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री राजपेरोकार सरकार अप्राथी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— दिनांक : 06.02.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 79 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर में खाता संख्या 61 / 55 मु0नं0 44 पं0नं0 221 / 278 में 3.795 है0 बारानी व चक 80 आरबी क खाता संख्या 27 / 24 मु0नं0 16 पं0नं0 216 / 271 में 1.671 है0 नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उपरोक्त भूमि में मुझ प्रार्थी का नाम बहादरराम पुत्र रामप्रताप दर्ज है। जबकि मेरे अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड में मेरा नाम बहादुर राम पुत्र रामप्रताप दर्ज है, राजस्व रिकॉर्ड में सहबन से मेरा नाम बहादुर राम के स्थान पर बहादरराम दर्ज हो गया, जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है, प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम बहादरराम के स्थान पर बहादुर राम दुरूस्त करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि से संबंधित सरकारी सहायता व योजना का लाभ लेने में अडचन पैदा हो रही है। वाके चक 79 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर में खाता संख्या 61 / 55 मु0नं0 44 पं0नं0 221 / 278 में 3.795 है० बारानी व चक 80 आरबी के खाता संख्या 27 / 24 मु0नं0 16 पं०नं० 216 / 271 में 1.671 है0 नहरी भूमि की जमाबन्दीयो में उपरोक्त वर्णित त्रुटि प्रार्थी के संज्ञान में आने के पश्चात् प्रार्थी ने हल्का पटवारी एवं संबंधित विभाग से सम्पर्क कर जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम बहादरराम की बजाये बहादुरराम दर्ज करने हेतु निवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी एवं अप्रार्थी द्वारा इस सन्दर्भ में अक्षमता व्यक्त की तथा मुझ प्रार्थी को सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर दुरूस्ती करवाने हेतु कहा गया। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार में है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू० राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि जमाबन्दी वाके चक 79 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 61 / 55 मु0नं0 44 पं0नं0 221 / 278 में 3.795 है0 बारानी व जमाबन्दी चक 80 आरबी के खाता संख्या 27 / 24 मु0नं0 16 पं०नं0 216 / 271 में 1.671 है। नहरी भूमि में मुझ प्रार्थी का नाम बहादरराम पुत्र रामप्रताप की बजाये बहादुरराम पुत्र रामप्रताप दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:36:39 IST
Reason: Self Attested

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु पत्र जारी

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

किया गया। सरकार की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/55 दिनांक 05.01.2026 से उक्त प्रकरण के संदर्भ में मौका जांच रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि जमाबन्दी चक 79 आरबी बी के मु०न० 44 प०न० 221/218 में रकबा 3.795 है० तथा चक 80 आरबी के मु०न० 16 प०न0 216/271 में रकबा 1.671 है। नहरी भूमि बहादरराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रार्थी का नाम बहादुरराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट जिसके संबंध में मौका घटना बही दिनांक 05.12.2025 में बहादरराम व बहादुरराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में बहादरराम उर्फ बहादुरराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट किया जाना उचित है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 79–80 आरबी, पटवार हल्का भादवांवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र भादवांवाला, तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 61/55 व 27/24 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि प्रार्थी के राजस्व ग्राम 79–80 आरबी, पटवार हल्का भादवांवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र भादवांवाला, तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 61/55 व 27/24 में अंकित नाम बहादरराम पुत्र रामप्रताप के स्थान पर बहादुरराम पुत्र रामप्रताप दर्ज करवाने बावत निवेदन किया है। प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम बहादुराम पुत्र रामप्रताप दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व घटना बही दिनांक 05.12.2025 बनाई गई। उपस्थित जनों ने बताया कि बहादुराम व बहादरराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इसे दोनों नामों से जाना पहचाना जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार परं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 79आरबी बी–80 आरबी पटवार हल्का भादवांवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र भादवावांला, तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2073–2076 चक 79 आरबी बी के मु०न० 44 प०न० 221/218 में रकबा 3.795 है० बारानी तथा चक 80 आरबी के मु०न० 16 प०न0 216/271 में रकबा 1.671 है. नहरी में अंकित नाम बहादरराम पुत्र रामप्रताप के स्थान पर बहादरराम उर्फ बहादुरराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:36:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner